हरियाणा सरकार सामान्य प्रशासन विभाग राजनैतिक शाखा आदेश

दिनांक चण्डीगढ 28 सितम्बर, 2016.

संख्या 41/18/2016—5 पोल .—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा के नियोजन में कोई भी हडताल महत्वूपर्ण कृषि गतिविधियों/सेवाओं तथा महत्वपूर्ण योजनाओं जो ज्यादातर समुदाय के लिए आवश्यक, समयबद्ध, मौसम आधारित गतिविधियां/सेवाए हैं, के कार्यान्वयन पर गम्भीरता से प्रभाव डालेगी तथा हरियाणा राज्य में उक्त गतिविधियों पर बुरा प्रभाव डालने के लिए सम्भाव्य है;

और, चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल की आगे संतुष्टि हो गई है, कि उक्त नियोजन में कर्मचारियों द्वारा हडताल का प्रतिषिद्ध लोकहित में है तथा ऐसी हडताल का प्रतिषिद्ध आवश्यक तथा समीचीन है ;

इसलिए, अब, हरियाणा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम 40), की धारा 4 क की उपधारा (1) के साथ पठित उप—धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से छह मास के लिए कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा में सभी कर्मचारियों द्वारा हडताल को प्रतिषिद्ध करते है ।

डी०एस०ढेसी मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

क्रमांक 41 / 18 / 2016—5पोल

दिनांक चण्डीगढ 28 सितम्बर, 2016.

इसकी एक प्रति नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हरियाणा, चण्डीगढ को तुरन्त आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है । उनसे अनुरोध है कि इस आदेश को हरियाणा सरकार के आज के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करें तथा इसकी 50 प्रतियां सामान्य प्रशासन विभाग (राजनैतिक शाखा) को भिजवाये ।

अवर सचिव राजनैतिक कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार । दिनांक चण्डीगढ 28 सितम्बर, 2016.

क्मांक 41 / 18 / 2016—5पोल

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है ।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ।

2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग ।

अवर सचिव राजनैतिक कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार । दिनांक चण्डीगढ 28 सितम्बर, 2016.

क्मांक 41/18/2016-5पोल

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है ।

1. सभी मण्डल आयुक्त हरियाणा ।

2. सभी उपायुक्त हरियाणा ।

3. निदेशक, सूचना एवं लोक सर्म्पक विभाग हरियाणा।

4. महानिदेशक, पुलिस हरियाण पंचकूला ।

अवर सचिव राजनैतिक

HARYANA GOVERNMENT GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT POLITICAL BRANCH ORDER

Dated Chandigarh the 28th September, 2016.

No. 41/18/2016-5Pol.- Whereas, the Governor of Haryana is satisfied that any strike in the employment of Agriculture and Farmers Welfare Department, Haryana, shall gravely affect the vital agricultural activities/services and implementation of important schemes which are essential, time-bound, weather based activities/services to the community at large and is likely to adversely affect the above said activities in the State of Haryana;

And whereas, the Governor of Haryana is further satisfied that the prohibition of strike by the employees in the aforesaid employment is in public interest and it is necessary and expedient to prohibit such a strike;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 4A of the Haryana Essential Services Maintenance Act, 1974 (40 of 1974), the Governor of Haryana hereby prohibits strike by all the employees in the employment of Agriculture and Farmers Welfare Department, Haryana for a period of six months from the date of publication of this order in the Official Gazette.

D.S. DHESI, Chief Secretary to Government, Haryana.

No. 41/18/2016-5Pol

Dated Chandigarh the 28th September, 2016.

A copy is forwarded to the Controller, Printing & Stationery, Haryana, Chandigarh for immediate necessary action. She is requested to published this order in the Haryana Government Gazette (Extra Ordinary) of today and supply 50 spare copies of the same to the General Administration Department (in Political Branch)

Under Secretary Political, for Chief Secretary to Government, Haryana.

Endst No. 41/18/2010-5Pol

Dated Chandigarh the 28th September, 2016.

A Copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Additional Chief Secretary to Government, Haryana. Agriculture and Farmer Welfare Department.

2. Additional Chief Secretary to Government, Haryana. Home Department.

Under Secretary Political, for Chief Secretary to Government, Haryana.

Endst No. 41/18/2016-5Pol

Dated Chandigarh the 28th September, 2016.

A Copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Divisional Commissioners in the State of Haryana.

2. All the Deputy Commissioner in the State of Haryana.

3. Director, Information & Public Relations Department, Haryana.

4. Director General of Police Haryana, Panchkula.

Under Secretary Political, for Chief Secretary to Government, Haryana. [Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 28th September, 2016]

हरियाणा सरकार सामान्य प्रशासन विभाग राजनैतिक शाखा आदेश

दिनांक 28 सितम्बर, 2016

संख्या 41/18/2016—5 पोल.— चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा के नियोजन में कोई भी हडताल महत्वपूर्ण कृषि गतिविधियों/सेवाओं तथा महत्वपूर्ण योजनाओं जो ज्यादातर समुदाय के लिए आवश्यक, समयबद्ध, मौसम आधारित गतिविधियां/सेवाए हैं, के कार्यान्वयन पर गम्भीरता से प्रभाव डालेगी तथा हरियाणा राज्य में उक्त गतिविधियों पर बुरा प्रभाव डालने के लिए सम्भाव्य है;

और, चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल की आगे संतुष्टि हो गई है, कि उक्त नियोजन में कर्मचारियों द्वारा हडताल का प्रतिषिद्ध लोकहित में है तथा ऐसी हडताल का प्रतिषिद्ध आवश्यक तथा समीचीन है ;

इसलिए, अब, हरियाणा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम 40), की धारा 4 क की उपधारा (1) के साथ पठित उप—धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से छह मास के लिए कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा में सभी कर्मचारियों द्वारा हडताल को प्रतिषिद्ध करते हैं ।

डी० एस० ढेसी, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT POLITICAL BRANCH

Order

The 28th September, 2016.

No. 41/18/2016-5Pol.— Whereas, the Governor of Haryana is satisfied that any strike in the employment of Agriculture and Farmers Welfare Department, Haryana, shall gravely affect the vital agricultural activities/services and implementation of important schemes which are essential, time-bound, weather based activities/services to the community at large and is likely to adversely affect the above said activities in the State of Haryana;

And whereas, the Governor of Haryana is further satisfied that the prohibition of strike by the employees in the aforesaid employment is in public interest and it is necessary and expedient to prohibit such a strike;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 4A of the Haryana Essential Services Maintenance Act, 1974 (40 of 1974), the Governor of Haryana hereby prohibits strike by all the employees in the employment of Agriculture and Farmers Welfare Department, Haryana for a period of six months from the date of publication of this order in the Official Gazette.

D. S. DHESI, Chief Secretary to Government Haryana.

54678—C.S.—H.G.P., Chd.